राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/71/2024 दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः– प्र.सं. 71 / 2024 अनवान कैलाश देवी पत्नी रामकुंवार मीणा निवासी रावतखेड़ा बनाम गोपाल पिता कल्याण मीणा निवासी रावतखेड़ा, गुलाब देवी पत्नी भंवरलाल मीणा निवासी रावतखेड़ा, मीरा पत्नी रामसिंह मीणा निवासी रावतखेड़ा, जमना पत्नी रामकरण मीणा निवासी रावतखेड़ा, लादू पिता रामदेव भील निवासी रावतखेड़ा, शांति बेवा प्यारा कुम्हार निवासी रावतखेड़ा, चंता पिता संतोष कुमार मीणा निवासी रावतखेड़, रामस्वरूप पिता बरदा भील निवासी रावतखेड़ा, स्याणी देवी पत्नी लालूराम मीणा निवासी रावतखेड़ा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

———————

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रावतखेड़ा प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 1092/109, 1108/109, 1110/109, 259 कुल किता 04 रकबा 0.9066 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है |** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कैलाश देवी पत्नी रामकुंवार मीणा निवासी रावतखेड़ा

बनाम

गोपाल पिता कल्याण मीणा निवासी रावतखेड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंवर 71 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
08-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रावतखेड़ा प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 1092/109, 1108/109, 1110/109, 259 कुल किता 04 रकबा 0.9066 हेक्टेयर भूमि स्थित है । अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें । प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है । ग्राम रावतखेड़ा प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 1092/109, 1108/109, 1110/109, 259 कुल किता 04 रकबा 0.9066 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है । कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें । पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें । **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को ज़रिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** । पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें । आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	